

पत्रांक - 28/डा०से०-06/2011.....

बिहार सरकार,
वित्त विभाग।

"संकल्प"

21 मई, 2015

विषय - बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 129 के लिए बी०टी०सी० फार्म-64 विहित करने के संबंध में।

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम, 380 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम, 129 के संदर्भ में एक नया बी०टी०सी० फार्म-64 विहित किया जाता है। उन तमाम मामलों में जिनमें किसी विक्रेता/सेवा प्रदाता द्वारा वस्तु/सेवा की बिक्री के समर्थन में कौशमेमो दिया जाना संभव नहीं है, उन मामलों में क्रेता कार्यालय/आंगनबाड़ी केन्द्र के द्वारा खरीद-सह-भुगतान प्रमाणपत्र बी०टी०सी० फार्म-64 में तैयार किया जायेगा। इस पर क्रेता, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा नियंत्री पदाधिकारी का हस्ताक्षर तथा राशि प्राप्त करने वाले विक्रेता/सेवा प्रदाता का हस्ताक्षर विहित स्थान पर होना आवश्यक है।

आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

अनुलग्नक - (बी०टी०सी० फार्म-64)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-
(एच०आर० श्रीनिवास)
सचिव (संसाधन)।

ज्ञापांक - 28/डा०से०-06/2011..... दिनांक -

प्रतिलिपि - प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
(एच०आर० श्रीनिवास)
सचिव (संसाधन)।

ज्ञापांक - 28/डा०से०-06/2011.....^{4659/15} दिनांक - ^{22/5/15}.....

प्रतिलिपि - सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

^{22/5}
(एच०आर० श्रीनिवास)
सचिव (संसाधन)।

ज्ञापांक 447-2 / 28/डा०से०-06/2011..... दिनांक 11 जून 2015

प्रतिलिपि - सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित।

^{11/6}
जिला सहायक निरक्षर
मधेपुरा
11-6-15

518
46115

11/6

